छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

चतुर्थ विधान सभा | एकादश सत्र | अंक-03

<u>रायपुर, बुधवार, दिनांक 1 मार्च, 2017</u>

(फाल्गुन 10, शक संवत् 1938)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

कार्यवाही प्रारंभ होते ही श्री भूपेश बघेल, सदस्य ने अधिकारी द्वारा धमकाने के आधार पर विशेषाधिकार हनन की सूचना दिए जाने का उल्लेख किया।

माननीय अध्यक्ष ने कथन किया कि आपकी सूचना मुझे प्राप्त हो गई है। निश्चित रूप से आसंदी प्रत्येक सदस्य के सम्मान की रक्षा के लिए है। मैं इसके बारे में व्यवस्था दूंगा।

श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रश्नकाल चलने देने का आग्रह किया।

श्री टी.एस.सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष ने कथन किया कि माननीय वरिष्ठ सदस्य के साथ किए गए व्यवहार के लिए वरिष्ठ आई.ए.एस. अधिकारी को खेद व्यक्त करना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि - मैंने सदन से अनुरोध किया है कि सदन के सभी सदस्यों के विशेषाधिकार का संरक्षण आसंदी करेगी। मुझे संज्ञान में माननीय भूपेश बघेल जी की विशेषाधिकार हनन की सूचना है। मैंने कहा है कि मेरे विचाराधीन है। मैंने पूर्व में ही निवेदन किया था कि आपने सदन का ध्यान आकृष्ट कर दिया गया है और यह सदन विशेषाधिकारों के प्रति सजग है। सूचना मेरे विचाराधीन है। मैं संबंधित से उत्तर प्राप्त करूंगा।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा नारेबाजी की गई।)

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, राजस्व मंत्री ने कथन किया कि विशेषाधिकार भंग की सूचना को आसंदी जिस रूप में स्वीकार करेगी सरकार उस पर चर्चा करने को तैयार है, लेकिन विशेषाधिकार का मामला आपके समक्ष दिया गया है, जिसका आपको ही निर्णय करना है, जैसा आप आदेश देंगे, सरकार तैयार है। आप जैसा निर्णय करेंगे।

1. बहिर्गमन

श्री भूपेश बघेल, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों ने नारे लगाते हुए सदन से बहिर्गमन किया ।

2. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 02 पर अनुपूरक प्रश्न पूछा गया।

3. अध्यक्षीय व्यवस्था

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि - माननीय सदस्यों के विशेषाधिकार के प्रति यह सदन सजग है। मैंने पूर्व में सदन को यह भी सूचित किया है कि संबंधित से विशेषाधिकार भंग की सूचना पर उत्तर प्राप्त करूंगा। मेरा प्रतिपक्ष के सदस्यों से अनुरोध है कि प्रश्नकाल जैसे महत्वपूर्ण सभा कार्य में हिस्सा लेवें। संबंधित से उत्तर प्राप्त होने पर मैं इस विषय पर निर्णय लूंगा।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्य सभा में उपस्थित हुए।)

4. प्रश्नकाल (क्रमश:)

प्रश्न संख्या 04, 05 से 08 (कुल 06) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये।

प्रश्न संख्या 01 एवं 03 के प्रश्नकर्ता सदस्य क्रमश: श्री पारसनाथ राजवाड़े एवं श्री मनोज सिंह मंडावी अनुपस्थित रहे।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 30 तारांकित एवं 53 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

5. अध्यक्षीय व्यवस्था

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि - सभा में किसी विषय को प्रदर्शन स्वरूप प्रगट करने हेतु परिधान का प्रयोग उचित नहीं है। मैं माननीय सदस्य को निर्देशित करता हूं कि ऐसा कृत्य नहीं करें और अब उसकी पुनरावृत्ति न हो।

(माननीय सदस्य श्री विमल चोपड़ा द्वारा नारे अंकित की हुई टोपी व कुर्ता पहन कर सदन में रहने पर)

6. स्थगन प्रस्ताव

मानणीय अध्यक्ष द्वारा प्रदेश में किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी में व्याप्त अव्यवस्था के संबंध में 35 सदस्यों की ओर से स्थगन प्रस्ताव की प्राप्त सूचनाओं में से श्री भूपेश बघेल, सदस्य की सूचना सर्वप्रथम प्राप्त होने से पढ़ी गई।

श्री पुन्नूलाल मोहले, खाद्य मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

माननीय अध्यक्ष ने शासन का उत्तर सुनने के पश्चात स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी।

श्री भूपेश बघेल एवं प्रतिपक्ष के अन्य सदस्यों द्वारा स्थगन प्रस्ताव ग्राह्य कर चर्चा कराने जाने हेतु पुनर्विचार का आग्रह किया गया।

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि स्थगन के विषय में सरकार का विस्तृत जवाब आ चुका है। यह बजट सत्र है इसमें माननीय राज्यपाल के अभिभाषण, अनुदान मांगों पर चर्चा के समय पर्याप्त अवसर प्राप्त होगा।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा नारेबाजी की गई।)

7. अध्यादेश का पटल पर रखा जाना

श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ आबकारी (संशोधन) अध्यादेश, 2017 (क्रमांक 1 सन् 2017) **पटल पर रखा।**

8. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) की धारा 9 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार -

   (i) अधिसूचना क्रमांक 622/एफ-2 (6)/2016/48/सं.का.,दिनांक 8 नवम्बर, 2016,

   (ii) अधिसूचना क्रमांक 624/एफ-2 (5)/2016/48/सं.का.,दिनांक 8 नवम्बर, 2016,

(2) श्री दयालदास बघेल, सहकारिता मंत्री ने छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 95 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार

अधिसूचना क्रमांक एफ-15-23/15-2/2016/2, दिनांक 22 दिसम्बर, 2016, तथा

(3) श्री महेश गागड़ा, विधि मंत्री ने विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (क्रमांक 39 सन् 1987) की धारा 30 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक 1678/आई-4-आई/2003, दिनांक 5 नवम्बर, 2016, **पटल पर रखे।**

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्य नारेबाजी करते हुए गर्भगृह में आये।)

9. नवम्बर, 2016 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों के संकलन का पटल पर रखा जाना

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक 13-ख की अपेक्षानुसार नवम्बर, 2016 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन प्रमुख सचिव, विधान सभा द्वारा पटल पर रखा गया।

10. नियम 267-क के अधीन नवम्बर, 2016 सत्र में सदन में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार नियम 267-क के अधीन नवम्बर, 2016 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन प्रमुख सचिव, विधानसभा द्वारा पटल पर रखा गया।

11. राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार प्रमुख सचिव, विधान सभा द्वारा चतुर्थ विधान सभा के दिसम्बर, 2015 सत्र में पारित 13 विधेयकों में से शेष बचे 3 विधेयकों में से 1 विधेयक पर तथा नवम्बर, 2016 सत्र में पारित सभी 5 विधेयकों पर माननीय राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो गई है, का विवरण सदन के पटल पर रखा गया।

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि अनुमति प्राप्त विधेयकों के नाम दर्शाने वाला विवरण पत्रक भाग-दो के माध्यम से माननीय सदस्यों को पृथक से वितरित किया जा रहा है।

12.सभापति तालिका की घोषणा

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित सदस्यों को सभापति तालिका के लिए नाम-निर्दिष्ट किया गया :-

(1) श्री देवजी पटेल
(2) श्री सत्यनारायण शर्मा
(3) श्री संतोष बाफना
(4) श्री शिवरतन शर्मा
(5) श्री धनेन्द्र साहू

13. कार्यमंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

माननीय अध्यक्ष ने कार्यमंत्रणा समिति की बैठक सोमवार, दिनांक 27 फरवरी, 2017 में लिए गए निर्णय अनुसार निम्नलिखित वित्तीय कार्य पर चर्चा के लिए उनके सम्मुख अंकित समय निर्धारित करने की सिफारिश की गई :-

	वित्तीय कार्य	**समय**
(i)	वर्ष 2016-2017 के तृतीय अनुपूरक अनुमान की अनुदान मांगों पर चर्चा, मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुर:स्थापन, विचार एवं पारण.	3.00 घंटे

(ii) वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक से संबंधित मंत्रियों के विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा हेतु निम्नानुसार समय का निर्धारण किया गया है :-

1.	डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री	-	03 घंटे
2.	श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री	-	02 घंटे 30 मिनट
3.	श्री बृजमोहन अग्रवाल, कृषि मंत्री	-	02 घंटे 30 मिनट
4.	श्री अमर अग्रवाल, नगरीय प्रशासन मंत्री	-	02 घंटे 30 मिनट
5.	श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय, राजस्व मंत्री	-	02 घंटे 30 मिनट
6.	श्री रामसेवक पैकरा, गृह मंत्री	-	02 घंटे 30 मिनट
7.	श्री राजेश मूणत, लोक निर्माण मंत्री	-	02 घंटे
8.	श्री केदार कश्यप, आदिम जाति विकास मंत्री	-	02 घंटे
9.	श्री पुन्नूलाल मोहले, खाद्य मंत्री	-	02 घंटे
10.	श्रीमती रमशिला साहू, महिला एवं बाल विकास मंत्री	-	02 घंटे
11.	श्री महेश गागड़ा, वन मंत्री	-	02 घंटे
12.	श्री दयालदास बघेल, सहकारिता मंत्री	-	02 घंटे
13.	श्री भईयालाल राजवाड़े, श्रम मंत्री	-	02 घंटे

समिति ने यह भी निर्णय लिया कि अनुदान मांगों पर चर्चा हेतु यथा-आवश्यकतानुसार माननीय अध्यक्ष सभा के समय में परिवर्तन कर सकेंगे। इसके साथ ही विधेयकों की सूचनाएं प्राप्त होने पर विधेयकों पर चर्चा हेतु समय का निर्धारण भी कर सकेंगे।

श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि सदन कार्य मंत्रणा समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों को स्वीकृति देता है ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

14. गर्भगृह में प्रवेश पर स्वमेव निलंबन

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि विधान सभा की कार्य प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 250(1) के अधीन निम्नलिखित सदस्य स्वमेव निलंबित हो गये हैं :-

सर्वश्री टी.एस.सिंहदेव, खेलसाय सिंह, बघेल लखेश्वर, मोतीलाल देवांगन, संतराम नेताम, मोहन मरकाम, लालजीत सिंह राठिया, श्यामलाल कंवर, सत्यनारायण शर्मा, डॉ.(श्रीमती) रेणु जोगी, सर्वश्री अमरजीत भगत, दिलीप लहरिया, दलेश्वर साहू, पारसनाथ राजवाड़े, बृहस्पत सिंह, भूपेश बघेल, धनेन्द्र साहू, गुरूमुख सिंह होरा, मनोज सिंह मंडावी, अरूण वोरा, उमेश पटेल, श्रीमती अनिला भेंडिया, श्रीमती तेज कुंवर गोवर्धन नेताम, श्रीमती देवती कर्मा, सर्वश्री दीपक बैज, शंकर ध्रुवा, (डॉ.) प्रीतम राम, चिंतामणी महाराज, कवासी लखमा, उइके रामदयाल, भोलाराम साहू, चुन्नीलाल साहू (अकलतरा), जनकराम वर्मा, भैयाराम सिन्हा एवं गिरवर जंघेल।

माननीय अध्यक्ष ने निलंबित सदस्यों से आग्रह किया कि वे सभा भवन से बाहर चले जायें। निलंबन अवधि का निर्धारण वे पश्चात् करेंगे।

(सदन की कार्यवाही 12.39 बजे स्थगित की जाकर 1.00 बजे पुन: समवेत हुई।)

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

15.निलंबन अवधि की समाप्ति

माननीय अध्यक्ष ने नियम 250 (1) के अंतर्गत निलंबित सदस्यों की निलंबन अवधि समाप्त करने की घोषणा की एवं प्रतिपक्ष के सदस्यों से कार्यवाही में भाग लेने का आग्रह किया।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्य सभा में उपस्थित हुए।)

16. सदस्यों द्वारा सभा में असंसदीय आचरण एवं निलंबन

मानननीय सदस्य श्री अमित अजीत जोगी ने आबकारी अध्यादेश, 2017 पटल पर रखे जाने एवं सदन को अपवित्र करने का कथन किया।

तत्पश्चात् माननीय सदस्य सर्वश्री अमित अजीत जोगी, सियाराम कौशिक एवं राजेन्द्र कुमार राय जल छिड़कते हुए एवं नारे लगाते हुए गर्भगृह में आये।

माननीय अध्यक्ष ने उपरोक्त सदस्यों को उनके असंसदीय कृत्य के लिए सभा की कार्यवाही से निलंबित किया।

(तीनों सदस्य सभा भवन से बाहर गए।)

श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री द्वारा माननीय सदस्य अंदर सामान कैसे लाये हैं, इसकी जांच कराने का आग्रह किया।

श्री शिवरतन शर्मा एवं श्री श्याम बिहारी जायसवाल, सदस्य ने उल्लेख किया कि दिनांक 27 फरवरी, 2017 को माननीय राज्यपाल के अभिभाषण के पश्चात् जब राष्ट्रगान हो रहा था तब माननीय सदस्य श्री अमित अजीत जोगी तख्ती लहरा रहे थे और राष्ट्रगान का अपमान कर रहे थे एवं आसंदी से इस पर व्यवस्था दिये जाने की मांग की।

माननीय अध्यक्ष ने कथन किया कि इसकी लिखित सूचना प्राप्त हुई है।

श्री राजेश मूणत, लोक निर्माण मंत्री एवं माननीय सदस्य सर्वश्री नवीन मारकण्डेय, देवजी भाई पटेल ने भी आसंदी से पहले व्यवस्था देने का आग्रह किया।

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि - चूंकि यह कृत्य सदन के अन्दर हुआ है इसलिए माननीय संसदीय कार्य मंत्री इस विषय को गंभीर मानते हैं तो इसके बारे में प्रस्ताव ला सकते हैं।

श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव हेतु सहमति व्यक्त की।

17. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) सर्वश्री मोहन मरकाम, दीपक बैज, संतराम नेताम, सदस्य ने बीजापुर जिले के मेटापाल गांव में मूक बधिर बच्चे की हत्या किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री रामसेवक पैकरा, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा नारेबाजी की गई।)

18. बहिर्गमन

श्री टी.एस.सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया ।

(माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से कार्यसूची के पदक्रम 10 का कार्य पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की)

19. ध्यानाकर्षण सूचना (क्रमश:)

(2) सर्वश्री टी.एस.सिंहदेव, धनेन्द्र साहू, श्रीमती अनिला भेंडिया, सदस्य ने प्रदेश में किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी में अनियमितता किये जाने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री तोखन साहू, संसदीय सचिव ने इस पर वक्तव्य दिया।

20. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक- 31, बेलतरा से निर्वाचित सदस्य श्री बद्रीधर दीवान द्वारा फरवरी-मार्च, 2017 सत्र में दिनांक 27 फरवरी, 2017 से 3 मार्च, 2017 तक सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा चाही गई है।

(सदन द्वारा अनुज्ञा प्रदान की गई।)

21. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

श्री देवजी भाई पटेल, सभापति ने प्राक्कलन समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

(2.11 से 3.05 बजे तक अंतराल)

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

22. माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा

माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव के संबंध में श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

(सभापति महोदय (श्री देवजी भाई पटेल) पीठासीन हुए।)

माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर निम्नलिखित सदस्यों के संशोधन प्रस्तुत हुए :-

सर्वश्री टी.एस.सिंहदेव, धनेन्द्र साहू, अमरजीत भगत, कवासी लखमा, भोलाराम साहू, बघेल लखेश्वर, बृहस्पत सिंह, श्रीमती देवती कर्मा, श्रीमती अनिला भेंड़िया, डॉ. विमल चोपड़ा, सर्वश्री जनकराम वर्मा, मोहन मरकाम, चुन्नीलाल साहू (अकलतरा), गिरवर जंघेल, अरूण वोरा, श्रीमती तेजकुंवर गोवर्धन नेताम, श्री भैयाराम सिन्हा एवं श्री दलेश्वर साहू।

माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत ज्ञापन प्रस्ताव व संशोधनों पर एक साथ हुई चर्चा मे निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

सर्वश्री धनेन्द्र साहू, अवधेश सिंह चंदेल,

(सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए।)

श्री बृहस्पत सिंह,

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

23.निलंबन की समाप्ति

माननीय अध्यक्ष ने निलंबित सदस्य सर्वश्री अमित अजीत जोगी, सियाराम कौशिक एवं राजेन्द्र कुमार राय का निलंबन समाप्त करने की घोषणा की।

24. माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा (क्रमश:)

श्री श्रीचंद सुंदरानी (जारी)

सायं 5.30 बजे विधान सभा की कार्यवाही गुरूवार, दिनांक 2 मार्च, 2017 (फाल्गुन-11, शक संवत् 1938) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

देवेन्द्र वर्मा

प्रमुख सचिव

छत्तीसगढ़ विधान सभा